

२५/५/१८ पत्रावली आज लोक अदालत न्याय क्रम में हार हुआ पत्रावली
मुख्यालय पीपलान पा पेश हुई। वादी एवं वादी के वकील उपस्थित होकर
निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहिए
है इसलिए कार्यवाही शेष की जावे। एवं उक्त रिफाजी आदेशिका पर
अक्रियता की गई। एमि स्थिति में वादी स्वयं वाद पर कार्यवाही नहीं चाहते
पर कार्यवाही वाद शेष करने के आदेशिका के बिना जाते
है। मित्र कैपल कुमार होकर नज्द से नम है। वाद उक्त
दालत ही आदेश सुनाया गया।

दीमादनी
उक्त प्रकरण में
किसी भी प्रकार
की कार्यवाही नहीं
चाहते हैं।
शेष की जावे।

ह

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) पृष्ठ ०

लक्ष्मी

सुरेश
सुरेश चावला
मसूदा (अजमेर)

सुरेश
सुरेश
लोक अदालत
मसूदा (अजमेर)

